न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्री नेमा राम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 149/2025
जीसीएमएस सं. – 2025/201

–:: प्रार्थीगण ::– बनाम –:: अप्रार्थीगण ::–

1. जितेन्द्र पुत्र अन्नाराम
2. देवेन्द्र पुत्र अन्नाराम
3. प्रकाशचन्द्र पुत्र लालूराम
4. बुधाराम पुत्र लालूराम
5. बाबूलाल पुत्र लालूराम
6. भंवरलाल पुत्र लालूराम

जातियान माली निवासीगण चौकड़ी कलां तहसील पीपाड़ शहर

भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

दर्ज तारीख :– 23.05.2025

उपस्थित अधिवक्ता :–
1. श्री ओमप्रकाश कच्छावाह अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर सरकारी पैरोकार

निर्णय

दिनांक : 11/09/2025

प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र धारा 111, 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है कि यह है कि ग्राम चौकड़ी कलां तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1100 क्षेत्रफल 1.6971 हैक्टेयर किस्म बारानी भूमि आई हुई है जिसको आगे प्रार्थनापत्र मे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। सबूत मे नकल जमाबंदी सर्वे आधार सम्वत् 2081 की प्रमाणित प्रति व नक्शा किस्तवार की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त भूमि के पूर्वी सीमा की तरफ कट्टाणी रास्ता खसरा नम्बर 1427 व कृषि भूमि 1099 स्थित है, पश्चिम में व दक्षिण दिशा में गौचर भूमि खसरा नम्बर 1101 स्थित है। वादग्रस्त भूमि के चारो तरफ पत्थरो की दीवारें व पुराने माँठे कायम है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का सहखातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जाकाश्त व उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के निर्बाद रूप से चला आ रहा है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाकर वादग्रस्त भूमि के चारों तरफ पक्की दीवार बनाना चाहता है इसलिए वादग्रस्त भूमि की पैमाईस की जाकर वादग्रस्त आराजी के चारो तरफ पत्थरगढी / मुडागढी करवाई जावें। वादग्रस्त भूमि की पेमाईश की जाकर सीमांज्ञान किया जाकर वादग्रस्त भूमि का नाप चोप किया जाकर सीमा कायम की जाकर पत्थरगढ़ी / मुण्डागढ़ी करवाई जावें। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढ़ी हेतु मुण्डे उपलब्ध करवा देंगे एवं नियमानुसार राज्य सरकार में राशि जमा करवा देंगे एवं कमिश्नर फीस अदा कर देंगे। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि की पैमाईस रिपोर्ट हल्का पटवारी से तैयार करवा रखी है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1100 पर सहखातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज काश्त है वादग्रस्त भूमि के पूर्वी–पश्चिमी व दक्षिणी सीमा के सहारे रास्ता व गौचर भूमि की सार्वजनिक भूमियां होने से

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढ़ी करवाई जानी अति आवश्यक व लाजमी है । इस पर यह प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढ़ी हेतु पेश हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि ग्राम चौकड़ी कलां में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1100 क्षैत्रफल 1.6971 हैक्टयर भूमि की पैमाईश करवाई जाकर सीमा कायम करके पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करने हेतु तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित फरमावें,अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीगण हो प्रार्थीगण के पक्ष में अता फरमावें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम चौकड़ी कलां के खसरा संख्या 1100 रकबा 1.6971 हैक्टयर भूमि की सीमांकन कर पत्थरगढ़ी किये जाने की अनुशंषा की हैं।

बहस पक्षकारान सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में दिये गये बिन्दुओ को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1100 भूमि का पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान करवाये जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया हैं।

हमने बहस वकील पक्षकारान सुनी, प्रार्थना पत्र मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त आराजी के खेत खसरा नम्बर 1100 रकबा 1.6971 हैक्टयर प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद भूमि हैं। जिसका सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी कराने का पूर्ण अधिकारी हैं । अतः तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व ग्राम चौकड़ी कलां के खसरा नम्बर 1100 रकबा 1.6971 हैक्टयर कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 11/09/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर